Revenue Canada, which is a part of the agreement between the Government of India and the Canadian International Development agency (CIDA). A detailed training material has been develped and comprehensive training is being imparted to the officers by the National Academy of Customs, Excise & Narcotics as well as Institute of Cost & Works Accounts of India.

Separate Liaison Officer for OBCs in GIC

1751. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whetehr the General Inssurance Corporation of India and its subsidiaries have been advised to implement Ministry of Personnel O.M. No. 42011/18/96-Estt. (Res.) dated the 6th March, 1997 for appointment of separate Liaison Officer for OBCs;

(b) if so, whether the orders have been uniformally implemented in G.I.C. and its subsidiaries; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Exclusive Liaison Officers for OBCs have been appointed in four subsidiaries, however in GIC since the total number is small, the same Liaision Officer looks after SCST and OBC.

(c) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अशोध्य ऋण लेखें

1752. **श्री कपिल सिब्बल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि पिछले तीन वर्षो के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 6171.86 करोड़ रू. अशोध्य ऋण खाते में डाल दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा हैं;

(ग) किस-किस बैंक द्वारा कितनी राशि अशोध्य ऋण खाते में डाली गयी हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कोई भी ऋण अशोध्य ऋण खातों में डालने के निर्देश जारी किये हैं; और

(ड.) यदि हां, तो वे निर्देश क्या हैं?

वित्त मंत्रालय बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) संभवत: यह संदर्भ सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों से संबंधित है। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं। (नीचे देखिए)

(घ) और (ड.) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी हैं कि देयराशियों की वसूली के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए और यदि ऋण की वसूली की आगे संभावना न हो तो बैंक के बेहतर हित में बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया जा सकता हैं। निर्णय लेने में गति लाने की दृष्टि से अलग-अलग बैंकों के निदेशक मंडलो ने निर्धारित सुरक्षा/शर्तो और विभिन्न कार्यकर्ताओं को सूचित करने की प्रणाली के अध्ययधीन अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालने की उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण

(राशि करोड़ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
(क)	स्टेट बैंक समूह			
1.	भारतीय स्टेट बैक	363.72	398.69	293.67
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	39.25	24.98	26.45